Phones: 03715-222094, 224186

FAX:03715-230356

भारत सरकार
Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,
FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE (NER)
विश्वनाथ चारिआलि, जिला- विश्वनाथ (असम)
Biswanath Chariali: Dist. - Biswanath: Assam-784176

Web site : http:// nerfmtti.nic.in

E-mail : fmti-ner@nic.in

संख्या. 17-1/2016-RTI - 347

दिनांक.25 जनवरी, 2017

प्रति,

Ms. Malti Devi Gupta
11/65, Kaveri Path, Madhyam marg
Mansrovar, Jaipur, Pin-302020

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत Ms. Malti Devi Gupta के द्वारा मांगी गई सूचना ।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पत्र पंजीकरण सं.DOA&C/R/2016/01929 dated 16.12.2016 जो मंत्रालय के पत्र संख्या 9-168/2016-M&T (Admn.) dated 28.12.2016द्वारा धारा 6(3) के तहत प्रेषित की गई है-

क्र०सं०	मांगी गई सूचना	उत्तर
(1)	माननिय उच्चतम न्यायालय ने CIVIL APPEAL NO.958 OF 2010 Prem Nath Bali V/s Registrar, High Court of Delhi & Anr. के मामले मे निर्णय आने के बाद समय पर जांच पूरी करने के बारे मे भारत सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये गये? जारी किये गये आदेश/ नियमों तथा सम्बन्धित फाईल की नोटिंग की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई जावे।	इस संस्थान का सम्बधित जानकारी शून्य मानी जाए।
(2)	माननिय उच्चतम न्यायालय ने CIVIL APPEAL NO.958 OF 2010 Prem Nath Bali V/s Registrar, High Court of Delhi & Anr. के मामले मे निर्णय आने के बाद समय पर जांच पूरी नही किये जाने पर जिम्मेदार अधिकारी/ कर्मचारी पर कार्यावाही करने के बारे मे कोई आदेश जारी किये गये है? जारी किये गये आदेश/ नियमों तथा सम्बन्धित फाईल की नोटिंग की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई जावे।	सम्बधित नहीं है।

(3) भारत सरकार के किस मंत्रालय के कोनसे विभाग मे छ माह से अधिक समय से लम्बित आरोप पत्र, के बारे मे निम्न सारणी के अनुसार सूचना उपलब्ध कराई जावे:-

	भारत सरकार का मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय का नाम जहा से सक्षम अधिकारी द्वारा या अनुमोदन से आरोप पत्र जारी किये गये	आरोप पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद, की जानकारी	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	निर्धारित समय मे जांच पूरी नहीं होने के कारणो से नियमअनुसार उच्चाधिकारियो को सूचित करने का दिनांक	जांच लम्बित रहने का कारण	जांच समय पर पुरी नही करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी पर की गयी कार्यावाही
6 माह से 1 वर्ष तक बकाया						
1 वर्ष से 2 वर्ष तक बकाया						
2 वर्ष से 3 वर्ष तक बकाया			NIL			
3 वर्ष से अधिक बकाया						

(4)	महामहिम राष्टपति महोदय द्वारा CCS (CCA) RULES के तहत Disciplinary Authorities के अधिकार भारत सरकार मे किस किस अधिकारी को दिये हुये है, कब से दिये गये, सभी अधिकारियो की पुर्ण जानकारी व सम्बन्धित आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई जावे। यह जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्सन 4(B) (ii) के तहत दी जावे।	जानकारी नहीं है।
(5)	कोई अधिकारी स्थानीय वरियता के कारण किसी पोस्ट का कार्य देख रहा हो, (Current duties of a post) तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उस अधिकारी के उक्त पोस्ट के लिये नियुक्ति के आदेश जारी नही किये हो, वह अधिकारी उस पोस्ट को मिले हुये, CCS (CCA) RULES के तहत Disciplinary Authorities के अधिकार स्वतः मिल जायेगें व उपयोग कर सकता है? सम्बधित आदेश/ नियमो की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई जावे।	जानकारी नहीं है।
(6)	महामहिम राष्टपति महोदय ने CCS (CCA) RULES के तहत Disciplinary Authorities के अधिकार भारत सरकार मे किन किन अधिकारीयो को दिये हुये है, उनकी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्सन 4(B) के तहत जनता के लिये, भारत सरकार की पोर्टल / वेव साईट पर उपलब्ध है? कृपया पुर्ण जानकारी देने का कष्ट करें।	जानकारी नहीं है।
(7)	क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालयो द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 की पालना की जा चुकी है? ओर धारा 4 की विभिन्न उप धाराओ मे दी गई सभी जानकारी जनता के लिये उपलब्ध है? यह, जानकारी कहा पर उपलब्ध है? पुर्ण जानकारी उपलब्ध करावे।	संस्थान का वेव साईट http://nerfmtti.nic.in पर उपलब्ध है।
(8)	कोई अधिकारी स्थानिय वरियता के कारण किसी पोस्ट का कार्य देख रहा हो, (current duties of a post) तथा सक्षम अधिकारी के उक्त पोस्ट के लिये नियुक्ति के आदेश जारी नही किये हो, और ना कोई अस्थाई Disciplinary Authorities के आदेश जारी किये गये हो, उस अधिकारी द्वारा CCS (CCA) RULES	इस संस्थान का सम्बधित जानकारी शून्य मानी जाए।

	के तहत Disciplinary Authorities के अधिकार के तहत जारी आरोप पत्र, आदेश, वैधानिक है या अवैधानिक? सम्बन्धित आदेश नियमो की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई जावे।	
(9)	कोई अधिकारी स्थानिय वरियता के कारण किसी पोस्ट का कार्य देख रहा हो, (current duties of a post) तथा सक्षम अधिकारी के उक्त पोस्ट के लिये नियुक्ति के आदेश जारी नही किये हो, ओर ना कोई अस्थाई Disciplinary Authorities के आदेश जारी किये गये हो, उस अधिकारी द्वारा उस पोस्ट को मिले, CCS (CCA) RULES के तहत Disciplinary Authorities के अधिकार का उपयोग करता है, क्या उस अधिकारी को सजा का प्रावधान आई. पी. सी./ भारत सरकार के कानून/ नियमो मे है? सम्बन्धित आदेश/ नियमो/ कानून की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराई जावे।	इस संस्थान का सम्बधित जानकारी शून्य मानी जाए।

नोट- इस कार्यालय में हिन्दी टंकक उपलब्ध नहीं है जो रिक्त है।

Name, Designation & Address of Appellate Authority

Shri K.K. Nagle, Director
North Eastern Region Farm Machinery Training & Testing Institute, Biswanath Chariali
Dist. Biswanath, Assam, Pin-784176
Tel. No. 03715 – 222094, Fax No. 03715-230358

भवदीय,

(ए.के.उपाध्याय)
व. कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

प्रतिलिपि-

(1) अवर सचिव –एम एण्ड टी एवं सी.पी.आई.ओ. कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि, सहकारिता एव किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001-आपके पत्र संख्या 9-168/2016-M&T (प्रशासन) दिनांक 28.12.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) निदेशक, उ.पू.क्षे.कृ.य.प्र. एवं प.स., बी. चाराली, सादर सूचनार्थ।

(ए.के.उपाध्याय)
व. कृषि अभियन्ता एवं सी.पी.आई.ओ.

25.1.2017